प्राचीन भारत में महिलाओं के धार्मिक अधिकार : एक अध्ययन

डॉ0 राज बहादुर यादव

स्त्रियों को प्राचीन भारतीय समाज में बड़े ही श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वह पुरूष की 'शरीरार्द्ध' और 'अर्द्धांगिनी' मानी गयी तथा उसके जीवन में स्त्री का महत्व 'श्री' एवं 'लक्ष्मी' के रूप में, वह उसके जीवन को सुख और समृद्धि से दीप्त और पुंजित करने वाली कही गई। वह श्वसुर गृह की साम्राज्ञी मानी जाती थी। ऋग्वेद में दम्पत्तियों द्वारा यज्ञीय कार्य करने का उल्लेख मिलता है। चूँकि स्त्री और पुरूष यज्ञ रूपी रथ के जुड़े हुए दो बैल माने गये थे। अतः यज्ञ में उसकी उपस्थितिक अनिवार्यता पत्नी संज्ञा को चरितार्थ करता है। पति की अनुपस्थिति में वह धार्मिक कृत्य कर सकती थी। जबकि अकेला पुरूष यज्ञ के अयोग्य समझा जाता था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि पति की अनुपस्थिति में ही विश्ववारा धार्मिक कृत्य करती थी। ऋग्वेद के अनुसार, पत्नी को यज्ञ करने एवं उसमें आहुति देने संबंधी अधिकार प्राप्त था। बिना पत्नी के सहयोग के यज्ञ अधूरा माना जाता था, क्योंकि वे ही यज्ञ की अधिकारिणी होती थी। यज्ञीय कार्य सम्पन्न करने से पूर्व पति–पत्नी दोनों को एक विशेष प्रकार के उपनयन से गुजरना पड़ता था।